रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1973/अग्रहायण 20, 1895
No. 431] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 1973/AGRAHAYANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 11th December 1973

S.O. 779(E).—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the Bally unit of Messrs. Abrasives and Castings Limited, Calcutta (hereafter in this Order referred to as the said industrial undertaking) has been closed for a period of not less than three months and that such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, the iron and steel castings and forging industry and that the financial condition of the company owning the said industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of such undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such re-starting is necessary in the interests of the general public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby authorises a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person), consisting of:—

Chairman

1. Shri J.V.R. Prasad Rao, Deputy Secretary, (Department of Labour), Government of West Bengal, Calcutta.

Member

2. Shri N. Ray, Deputy Secretary, (Department of Closed and Sick Industries), Government of West Bengal, Calcutta.

to take over the management of the whole of the said industrial undertaking subject to the following terms and conditions, namely:—

(1) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(2) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the official Gazette, and

(3) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person, earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F.2/71/72-CUC.]

D K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1973

का० आ० 779 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार का अपने कब्जे में के दस्तावेजी साक्ष्य से यह समाधान हो गया है मेसर्स एब्रामिक्स एण्ड कास्टिंग लिमिटेड, कलकत्ता की बेली यूनिट (जिसे इसके पश्चात् आदेश में उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तीन मास से अन्यून अवधि के लिए बंद कर दी गई है और ऐसा बंद कर दिए जाने से संबद्ध अनुसूचित उद्योग, अर्थात् लोहा और इस्पात ढलाई तथा गढ़ाई उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उक्त औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली कम्पनी की वित्तीय दशा तथा ऐसे उपक्रम के संयंत्र और मशीनरी की दशा ऐसी है कि उपक्रम को फिर चालू करना संभव है और इस प्रकार फिर से चालू करना जनसाधारण के हित में आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; व्यक्तियों के एक निकाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है)को, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

अध्यक्ष

1. श्री जे० बी० आर० प्रसाद राव,
   उप सचिव,
   (श्रम विभाग);
   पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता ।

सदस्य

2. श्री एन० रे,
   उप सचिव,
   (बन्द और बीमार उद्योग विभाग);
   पश्चिमी बंगाल,
   कलकत्ता ।

उक्त औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, और

(3) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्त, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती हो, उसके पहले ही समाप्त कर सकेगी

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ हो कर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 2/71/72-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973